

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/
प्रार्थीगण

1831
बनाम

दिनांक - 30.7.19

अप्रार्थीगण

1 मूलाराम 2 खेताराम 3
पुरखाराम पिसरान निम्बाराम
जाति सुथार निवासी डूडियों की
ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 प्रागाराम 2 वालाराम 3 वागाराम पिसरान
डूंगराराम जाति सुथार 4 मोटाराम 5 आदुराम
पिसरान रामाराम 6 खेमाराम पुत्र हेजाराम 7
पुरखाराम पुत्र भीखाराम 8 मेगाराम 9 वीराराम 10
खेताराम 11 मूलाराम पिसरान कंवराराम जाति जाट
निवासी सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 214/2019

दिनांक- 26.7.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांगाणा कुआं पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 651 रकबा 05.18 बीघा, खसरा संख्या 970/872 रकबा
08.09 बीघा, खसरा संख्या 995/872 रकबा 23.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये
1500/-- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1840-1842
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मूलाराम पुत्र निम्बाराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रागाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर